क्रम संख्या–48(ङ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 20 मार्च, 2008 ई0
फाल्गुन 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1303/XXXVI(4)/2008
देहरादून, 20 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 19 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 में एक नई उपधारा 4 का अन्तःस्थापन

2–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(4) जहां नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या नये नगर निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो, तो नये बोर्ड के गठन तक–

(क) नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होंगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेगी और प्रशासक, विधि की दृष्टि में, नगर निगम अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगर निगम कोष से देय होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ग) राज्य सरकार, समय–समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा ईष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (घ) का निरसन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 का खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 25 में नए खण्ड का अन्तःस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (द) के पश्चात् एक नया खण्ड निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो,"

मूल अधिनियम की धारा 30 का निरसन

5–मूल अधिनियम की धारा 30 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

'नगरपालिका' के स्थान पर 'नगर निगम' पढ़ा जाना

6–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं0 19, वर्ष 2002) में जहां–जहां शब्द "नगर पालिका" आया है, वहां वह शब्द "नगर निगम" पढ़ा जायेगा।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,

प्रमुख सचिव।